



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 05 अभियुक्त को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 9,000/-रु0 (कुल-45,000रु0) के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-660/21 धारा-147,148,149,302/149,307/149,504,506,141 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.धीरेन्द्र पुत्र रामकिशोरी 2.वीरसिंह पुत्र रामकिशोरी 3.रामकिशोरी पुत्र बृजलाल 4.रामभरत पुत्र ब्रजलाल 5.शत्रुघ्न पुत्र रामभरत निवासीगण मवई, थाना राठ, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी सुभाष कुमार  
श्रीवास्तव



विवेचक-  
निरी0 आशुतोष  
कुमार सिंह



पैरोकार  
थाना - राठ  
का0 सर्वज्ञ